न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 19.08.19

मिशल संख्या:– 489/2018

उनवानी दावा :

1. भंवरलाल पुत्र हेमा उर्फ हेमा जाति कीर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– अपीलान्ट –

बनाम

1. ग्राम पंचायत पनवाड, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड तहसील–देवली जिला–टोंक राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट –

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़
दिनांक 01.04.20169 नामान्तकरण संख्या 1756

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि माता बदाम पत्नि हेमा की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 2002 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम पनवाड स्थित है इसी प्रकार खसरा नम्बर 2731 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 2734 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 3240 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम पनवाड स्थित है जिसमें अपीलान्ट की माता 1/3 हिस्सा है तथा शेष 2/3 हिस्सा अन्य सह खातेदारान का है। बदाम पत्नि हेमा का देहान्त दिनांक 15.011.2015 को ग्राम सीतापुरा में हो गया था। बदाम देवी अपीलान्ट की प्राकृतिक माता है बदाम देवी का पहले हेमा कीर से विवाह हुआ था और उसके नुफते से 2 पुत्र अपीलान्ट व राधेश्याम उत्पन्न हुए थे। राधेश्याम की मृत्यु हो गई है और वह अविवाहित था 2 पुत्रो के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। बदाम द्वारा दोनो पुत्रों को जन्म देने के थोडे दिनों बाद ही दूनी निवासी रामरतन कीर से विवाह कर लिया था और उसके पास ही रहती थी। बदाम देवी के दुसरे पति रामरतन कीर का भी देहान्त हा गया है तथा बदाम देवी अपनी बिमारी ग्राम सीतापुरा में दिखाने गई थी। वही पर ही दिनांक 15.11.2015 को मृत्यु हो गई। अपीलान्ट के पिता के देहान्त के बाद उसके हिस्से की आराजीयात का नामान्तकरण अपीलान्ट की माता बदाम देवी के नाम खोल दिया गया था। उसके पश्चात् उसने दुसरा नाता कर लिया था। मौके पर अपीलान्ट का ही कब्जा है। बदाम देवी की मृत्यु के बाद अपीलान्ट ने स्वयं के नाम

नामान्तकरण खोलने हेतु हल्का पटवारी को मृत्यु प्रमाण पत्र बदाम देवी का दिया तो,हल्का पटवारी द्वारा खाता संख्या 334 में खसरा नम्बर 2731 रकबा 0.18 है0 भूमि का ही नामान्तकरण भरा शेष भूमि का फोती का नामान्तकरण नही भरा और अपीलान्ट के नाम 1/6 का नामान्तकरण भर दिया ओर हल्का गिरदावर ने उक्त नामान्तकरण संख्या 1756 में यह नोट डालते हुए कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो बदाम देवी का ग्राम पंचायत सीतापुरा द्वारा जारी किया गया है उसमें बदाम पत्नि रामरतन दर्ज है जबकि जमाबंदी में बदाम पत्नि हेमा दर्ज है और नामान्तकरण को खारिज कर दिया। हल्का पटवारी ने भरने से पूर्व मौके पर जाकर कब्जे बाबत् व मृतक हेमा के वारिसान व उसकी पूर्व पत्नि बदाम के बारे मे कोई जांच नही और न ही उक्त खेत के आस–पास पडोसियों के बयान लिए। हल्का पटवारी द्वारा खाता संख्या 334 में वर्णित सभी खसरा नम्बरान का नामान्तकरण नही भरा केवल मात्र एक खसरा नम्बर 2731 का नामान्तकरण भर कर दिया जो कि कानून के खिलाफ है। खाता संख्या 334 में बदाम पत्नि हेमा के साथ अपीलान्ट का भी नाम हेमा की मृत्यु के बाद बतौर वारिस राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया था इस बात पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण खारिज करने की कोई जानकारी नही थी। दिनांक 07.08.2018 को जब अपीलान्ट हल्का पटवारी के पास उक्त नामान्तकरण बाबत् मालूमात करने पर पटवारी द्वारा बताया गया कि तुम्हारी माता का फौती नामान्तकरण खारिज कर दिया है इस पर अपीलान्ट ने उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र तहसील देवली से लगाया जहां से दिनांक 09.08.2018 को नकल प्राप्त हुई उसके पश्चात् पैसों का इन्तजाम कर वकील की सलाह कर यह अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। उक्त अपील को मियाद बहार माना जावे तो देरी को कन्डोन करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार देवली से सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ दिनांक 01.04.16 नामान्तकरण संख्या 1756 की मूल पत्रावली मंगवाई गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के मुख्य तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 334 में बदाम पत्नी हेमा व भंवरलाल पिता हेमा ग्राम पनवाड़ का 1/3 दर्ज है। नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम पनवाड़ के नामान्तकरण संख्या 1756 में खातेदारी बदाम की मृत्यु होने सें कॉलम संख्या 9 में बदाम के वारिस भंवरलाल पुत्र हेमाराम कीर हिस्सा 1/6 का नामान्तकरण खोला गया परन्तु इसी नामान्तकरण में भू. अभि. निरीक्षक ने लिखा है कि मुताबिक जमाबन्दी के मृत्यु प्रमाण पत्र का अंकन सही नहीं है। मुताबिक जमाबन्दी में बदाम पत्नी हेमा दर्ज है व मृत्यु प्रमाण पत्र में बदाम पत्नी रामरतन दर्ज होने से नामान्तकरण खारिज योग्य है। इसी नामान्तकरण में कार्यालय ग्राम पंचायत पनवाड में दिनांक 20.04.2016 को कोरम मिटिंग में प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा अनुमोदन कर

उक्त नामान्तकरण अस्वीकृत/खारिज किया जाता है। कार्यालय ग्राम पंचायत, पनवाड़ के वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.16 के अनुसार स्व. हेमाराम पुत्र हीरा कीर का एक वारिस भंवरलाल कीर है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 334 में बदाम पत्नी हेमा व भंवरलाल पिता हेमा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । यह दोनो तथ्य विरोधाभाषी है। अतः तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हेमा व बदाम के फौती नामान्तकरण के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय दिनांक 19.08.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली